कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः 12,099/पॉच–ई0आई0बी0/एम0डी0ओ0–समीक्षा/2019–20/देहरादून अक्टूबर, 19, 2019

माह सितम्बर–2019 के एम0डी0ओ0 की समीक्षा

1.नैनीतालः–

क्र० सं०	वर्ष	पकड़े गये अभियोग	अज्ञात	अपहृत मदिरा	देशी मदिरा		विदेशी मदिरा		बीयर		ओवर रेटिंग में उल्लघन (जि०अ०अधि० स्तर)	ओवर रेटिंग में उल्लघन (आ०नि० स्तर)	लंबित अभियोग (न्यायालय में)	लंबित अभियोग (आबकारी निरीक्षक स्तर
					उपभोग (ब०ली० में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत	उपभोग (बोतल में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत	उपभोग (ब०ली० में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत				
1	सितम्बर –2019	45	21	1519.46	139267.92	-28.89	600106.79	22.66	142272.82	-18.44	0	0	340	91
	सितम्बर –2018	42	12	1018.80	195856.74	0	407750.04	0	174428.79	0	2	4	335	79
	प्र0योग च0वर्ष	195	91	5871.15	915548.34	-31.34	2077944.66	29.46	1109623.66	-17.85	5	4	0	0
	प्र0 योग गत वर्ष	164	42	69688.03	1333491.93	0	2223055.69	0	1350674.83	0	12	13	2139	369

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि माह में पकड़े गये कुल 45 अभियोग दर्ज किये गये हैं तथा माह में अपहृत शराब की मात्रा 1519.46 बी०एल० है जो गतवर्ष माह के सापेक्ष 1333491.93 कम है। जनपद में देशी मदिरा के उपभोग में –28.89% कमी पायी गयी है। अतः गत् चलित वर्ष के सापेक्ष –31.34% उपभोग में अधिक पायी गयी है। इससे स्पष्ट है कि जनपद द्वारा अवैध कच्ची शराब बनाने/तस्करी/विक्रय करने वालों के विरूद्ध प्रभावी प्रर्वतन की कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिस कारण देशी मदिरा के उपभोग में आयी कमी का प्रत्यक्ष रूप से आबकारी राजस्व पर पडता है। इसी प्रकार बीयर के उपभोग में गतवर्ष के माह के सापेक्ष –18.44% तथा गत् चलित वर्ष के सापेक्ष –17.85% कमी पायी गयी है, मा० न्यायालय में लम्बित अभियोगों की कुल संख्या 340 तथा आबकारी निरीक्षकों के स्तर पर अन्वेषणार्थ लम्बित अभियोगों की संख्या 91 दर्शाया गया है। मा० न्यायालय में लम्बित अभियोगों की संख्या एवं आबकारी निरीक्षकों के स्तर पर अन्वेषणार्थ लम्बित अभियोगों की संख्या से प्रतीत होता है कि जिला आबकारी अधिकारी एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के द्वारा मा० न्यायायल मे सघन पैरवी नही की जा रही है। माह में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ओवर रेटिंग के एवं आबकारी निरीक्षकों के स्तर पर कोई भी उल्लंघन दर्ज नहीं किये गये है। जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों के द्वारा संघन प्रवर्तन की कार्यवाही करने के साथ–साथ ओवर रेटिग की रोकथाम के लिये निरन्तर प्रयास किया जाना आवश्यक है ताकि सम्भावित आबकारी राजस्व की क्षति से बचा जा सकें।

2.ऊधमसिंहनगरः–

क्र० सं०	वर्ष	पकड़े गये अभियोग	अज्ञात	अपहृत मदिरा	देशी मदिरा		विदेशी मदिरा		बीयर		ओवर रेटिंग में उल्लघन (जि०अ०अधि० स्तर)	ओवर रेटिंग में उल्लघन (आ०नि० स्तर)	लंबित अभियोग (न्यायालय में)	लंबित अभियोग (आबकारी निरीक्षक स्तर पर)
					उपभोग (ब०ली० में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत	उपभोग (बोतल में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत	उपभोग (ब०ली० में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत				
1	सितम्बर –2019	83	59	6001.20	101588.16	-33.28	239920.70	-6.08	141601.44	-33.11	0	0	2256	642
	सितम्बर –2018	84	37	2741.49	152266.50	0	255461.25	0	211681.45	0	0	1	2435	606
	प्र0योग च0वर्ष	402	249	20715.86	579670.09	-29.04	1352432.08	-6.29	1030259.56	-30.91	8	7	0	0
	प्र0 योग गत वर्ष	295	142	14302.34	816905.40	0	1443256.80	0	1491117.77	0	7	23	15187	3272

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि माह में पकड़े गये कुल 83 अभियोग तथा माह में अपहृत शराब की मात्रा 6001.20 बी०एल० है जो गतवर्ष अपहृत किये गये शराब की मात्रा से अधिक है। जनपद में देशी मदिरा के उपभोग में गत् चलित वर्ष माह के सापेक्ष –29.04% उपभोग में कमी पायी गयी है, तथा विदेशी मदिरा के उपभोग में –6.08% बीयर के उपभोग में गत् चलित वर्ष के माह के सापेक्ष –33.11% कमी पायी गयी, इससे स्पष्ट है कि जनपद में अवैध मदिरा की तस्करी, व कच्ची शराब बनाने/विक्रय/संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध प्रभावी रूप से प्रर्वतन कार्य नहीं किया जा रहा है और ना ही प्रर्वतन कार्य के प्रति रूची लिया जा रहा है, जिस कारण जनपद के देशी/विदेशी/बीयर के उपभोग में निरंन्तर कमी आयी है जिसका प्रतिकूल प्रभाव जनपद के राजस्व पर पडना स्वाभाविक है। मा०

न्यायालय में लम्बित अभियोगों की संख्या माह अगस्त–2019 तक कुल 2256 तथा आबकारी निरीक्षक के स्तर पर अन्वेषणार्थ लम्बित अभियोगों की संख्या–642 दर्शाया गया है। जो अत्यधिक है इससे से प्रतीत होता है कि जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों के द्वारा मा0 न्यायालय में वादों की संघन पैरवी नहीं की जा रही है। माह में ओवर रेटिग के उल्लघंन जिला आबकारी अधिकारी एवं

Scanned by CamScanner

कों के द्वारा कोई भी उल्लघंन दर्ज नहीं किये गये है। जनपद में जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों के मदिरा की रोकथाम के लिये सघंन परिवर्तन की कार्यवाही करने के साथ–साथ ओवर रेटिंग की रोकथाम के लिये निरन्तर प्रवाभी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। ताकि सम्भावित आबकारी राजस्व की क्षति से बचा जा सके।

3.अल्मोड़ा:–

क्र० सं०	वर्ष	पकड़े गये अभियोग	अज्ञात	अपहृत मदिरा	देशी मदिरा		विदेशी मदिरा		बीयर		ओवर रेटिंग में उल्लघन (जि०आ०अधि० स्तर)	ओवर रेटिंग में उल्लघन (आ०नि० स्तर)	लंबित अभियोग (न्यायालय में)	लंबित अभियोग (आबकारी निरीक्षक स्तर पर)
					उपभोग (ब०ली० में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत	उपभोग (बोतल में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत	उपभोग (ब०ली० में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत				
1	सितम्बर –2019	25	1	525.91	67110.83	-34.17	171496	-4.58	37510.20	(-) 17.46	1	0	30	38
	सितम्बर –2018	24	0	544.26	101947.56	0	179716.50	0	45447.30	0	0	0	15	53
	प्र०योग च०वर्ष	110	2	2776.06	400606.01	-37.31	965790	-11.97	289654.60	(-) 15.96	1	8	0	0
	प्र0 योग गत वर्ष	104	1	3456.36	639015.61	0	1097067.75	0	344663.05	0	1	15	214	194

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्तमान माह में मात्र कुल 25 अभियोग पकड़े गये हैं चलित वर्ष में मात्र 110 अभियोग दर्ज किये गये है, तथा गत् वर्ष के माह में 525.91 बी०एल० मदिरा अपहृत की गयी है, तथा गत वर्ष माह के चलित वर्ष में 2776.06 बी०एल० शराब अपहृत की गयी है, जो सन्तोषजनक नहीं है, जबकि जनपद में 03 अपराध निरोधक क्षेत्र हैं, इससे स्पष्ट है कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा एवं आबकारी निरीक्षकों द्वारा प्रर्वतन कार्य के प्रति कोई रूची नहीं ली जा रही है। जिस कारण जनपद के देशी मदिरा के उपभोग में गत् चलित वर्ष के माह के सापेक्ष –34.17% तथा गत वर्ष माह के चलित योग के सापेक्ष –37.31% विदेशी मदिरा में गत् चलित वर्ष माह के चलित योग के सापेक्ष –4.58% तथा बीयर के उपभोग में –17.46% की कमी पायी गयी है। माह में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा मात्र– 1 तथा आबकारी निरीक्षकों के द्वारा ओवर रेटिग के कोई भी उल्लघंन दर्ज नहीं किया गया है, जनपद द्वारा प्रभावी रूप से प्रर्वतन की कार्यवाही पर रूची नही लिए जाने के कारण जनपद के मदिरा के उपभोग में भारी कमी आयी है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से आबकारी राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पडना स्वाभाविक है। जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों को अवैध मदिरा की रोकथाम करने व ओवंर रेटिंग पर रोक लगाने के लियें निरन्तर निष्ठापूर्वक प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, ताकि सम्भावित राजस्व की क्षति से बचा जा सके।

4.बागेश्वर:–

क्र० सं०	वर्ष	पकड़े गये अभियोग	अज्ञात	अपहृत मदिरा	देशी मदिरा		विदेशी मदिरा		बीयर		ओवर रेटिंग में उल्लघन (जि०आ०अधि० स्तर)	ओवर रेटिंग में उल्लघन (आ०नि० स्तर)	लंबित अभियोग (न्यायालय में)	लंबित अभियोग (आबकारी निरीक्षक स्तर पर)
					उपभोग (ब०ली० में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत	उपभोग (बोतल में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत	उपभोग (ब०ली० में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत				
1	सितम्बर –2019	3	2	0	6184.26	-77.45	108307	12.70	17954.95	(–) 33.97	0	0	11	21
	सितम्बर –2018	9	5	420.30	27423.72	0	96106.50	0	27190.70	0	2	0	22	11
	प्र0योग च0वर्ष	15	7	112.33	64743.93	-62,68	550508	9.58	137179.35	(–) 11.34	3	2	0	0
	प्र0 योग गत वर्ष	35	16	6590.84	173494.80	0	502390.25	0	154728.05	0	7	3	114	81

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्तमान माह में मात्र कुल 03 अभियोग दर्ज किया गया हैं चलित वर्ष में मात्र–15 अभियोग दर्ज किये गये हैं, जनपद में अवैध अपहृत शराब की मात्रा गत् वर्ष के माह के सापेक्ष मात्र 0 बी०एल० तथा चलित वर्ष में मात्र 112.33 बी०एल० मदिरा अपहृत की गयी है। जनपद का प्रर्वतन कार्य सन्तोषजनक नहीं है, प्रर्वतन कार्य सन्तोषजनक नहीं होने के कारण जनपद के देशी मदिरा के उभोग में गत् वर्ष के चलित माह के सापेक्ष –62.68% कमी, विदेशी मदिरा के उभोग में मात्र 9.58% वृद्वि तथा बीयर के उपभोग में –11.34% कमी पायी गयी, ओवर रेटिंग के मामले में जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों के स्तर पर कोई भी उल्लंघन दर्ज नहीं किया गया है। जनपद द्वारा प्रभावी रूप से प्रर्वतन की कार्यवाही पर रूची नही लिए जाने के कारण जनपद के मदिरा के उपभोग में भारी कमी आयी है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से आबकारी राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पडना स्वाभाविक है। जिला आबकारी

Scanned by CamScanner

आबकारी निरीक्षकों को अवैध मदिरा की रोकथाम करने व ओवर रेटिंग पर रोक लगाने के लिये निरन्तर प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, ताकि सम्भावित राजस्व की क्षति से बचा जा सके।

5. चम्पावत:–

क्र० सं०	वर्ष	पकड़े गये अभियोग	वाहन	अपहृत मदिरा	देशी मदिरा उपभोग (ब०ली० में)	देशी मदिरा कमी/ वृद्धि प्रतिशत	विदेशी मदिरा उपभोग (बोतल में)	विदेशी मदिरा कमी/ वृद्धि प्रतिशत	बीयर उपभोग (ब०ली० में)	बीयर कमी/ वृद्धि प्रतिशत	ओवर रेटिंग में उल्लघन (जि०आ०अधि० स्तर)	ओवर रेटिंग में उल्लघन (आ०नि० स्तर)	लंबित अभियोग (न्यायालय में)	लंबित अभियोग (आबकारी निरीक्षक स्तर पर)
1	सितम्बर –2019	14	1	265.91	51011.46	-9.47	71844.50	28.21	17891.50	-13.55	1	0	19	24
	सितम्बर –2018	11	0	94.77	56344.86	0	56923.50	0	20694.70	0	2	0	29	17
	प्रगतिशील चालू वर्ष	50	2	753.29	237266.30	-25.60	502415.75	25	147569.50	(-) 12.31	2	2	0	0
	प्र० योग गत वर्ष	42	0	1375.71	318858.04	0	401942.25	0	158278.45	0	3	14	116	68

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्तमान माह मे मात्र कुल–14 अभियोग दर्ज किये गये हैं चलित वर्ष में मात्र–50 अभियोग दर्ज किये गये हैं, जनपद में अवैध अपहृत शराब की मात्रा गत् चलित वर्ष से 265.91 बी०एल० तथा चलित वर्ष में 753.29 बी0एल0 शराब अपहृत की गयी है, जो सन्तोषजनक नही है। इससे स्पष्ट है कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा एवं आबकारी निरीक्षकों द्वारा प्रर्वतन कार्य के प्रति कोई रुची नही ली जा रही है। जिस कारण जनपद के देशी मदिरा के उपभोग में गत् वर्ष के माह के सापेक्ष –9.47% तथा गत् वर्ष माह के चलित योग के सापेक्ष –25.60% तथा बीयर के उपभोग में –12.31% की कमी पायी गयी है। माह में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा मात्र 1 तथा आबकारी निरीक्षकों के द्वारा ओवर रेटिंग के कोई भी उल्लंघन दर्ज नहीं किया गया है। जनपद द्वारा प्रभावी रूप से प्रर्वतन की कार्यवाही पर रुची नही लिए जाने के कारण जनपद के देशी मदिरा एवं बीयर के उपभोग में भारी कमी आयी है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से आबकारी राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों को अवैध मदिरा की रोकथाम करने व ओवर रेटिंग पर रोक लगाने के लिये निरन्तर निष्ठापूर्वक प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, ताकि सम्भावित राजस्व की क्षति से बचा जा सके।

6.पिथौरागढ़:–

क्र० सं०	वर्ष	पकड़े गये अभियोग	वाहन	अपहृत मदिरा	देशी मदिरा उपभोग (ब०ली० में)	देशी मदिरा कमी/ वृद्धि प्रतिशत	विदेशी मदिरा उपभोग (बोतल में)	विदेशी मदिरा कमी/ वृद्धि प्रतिशत	बीयर उपभोग (ब०ली० में)	बीयर कमी/ वृद्धि प्रतिशत	ओवर रेटिंग में उल्लघन (जि०आ०अधि० स्तर)	ओवर रेटिंग में उल्लघन (आ०नि० स्तर)	लंबित अभियोग (न्यायालय में)	लंबित अभियोग (आबकारी निरीक्षक स्तर पर)
1	सितम्बर –2019	18	3	126.77	2038.86	-89.13	209156.25	7.86	49994.34	(-) 17.24	0	0	39	22
	सितम्बर –2018	21	0	193.83	18751.72	0	193911	0	60405.80	0	1	0	29	26
	प्रगतिशील चालू वर्ष	89	10	4189.06	12233.16	-92.01	1069357	-10.15	344344.64	(-) 16.15	2	2	0	0
	प्र० योग गत वर्ष	83	4	1179.98	153121.13	0	1190193.75	0	410653.45	0	7	7	208	105

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्तमान माह में मात्र कुल 18 अभियोग दर्ज किया गया हैं चलित वर्ष में मात्र–89 अभियोग दर्ज किये गये हैं, जनपद में अवैध अपहृत शराब की मात्रा गत चलित वर्ष में मात्र 126.77 बी०एल० तथा चलित वर्ष में 4189.06 बी0एल0 शराब अपहृत की गयी है। जनपद के देशी मदिरा के उभोग में गत् वर्ष के चलित माह के सापेक्ष –89.13% कमी तथा विदेशी मदिरा के उभोग में –7.86% तथा बीयर के उपभोग में –17.24% कमी पायी गयी है। इससे स्पष्ट है कि जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों द्वारा प्रर्वतन कार्य के प्रति कोई रूचि नहीं ली जा रही है, जिस कारण जनपद के देशी/विदेशी/बीयर के उपभोग में कमी आई है। माह में ओवर रेटिंग के मामले जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों के स्तर पर कोई भी उल्लंघन दर्ज नहीं किये गये है। जनपद के देशी/विदेशी मदिरा बीयर के उपभोग में भारी कमी पायी गयी है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से आबकारी राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों को अवैध मदिरा की रोकथाम करने व ओवर रेटिंग पर रोक लगाने के लिये निरन्तर निष्ठापूर्वक प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, ताकि सम्भावित राजस्व की क्षति से बचा जा सके।

Scanned by CamScanner

द्वार:-

क० सं०	वर्ष	पकड़े गये अभियोग	अज्ञात	अपहृत मदिरा	देशी मदिरा		विदेशी मदिरा		बीयर		ओवर रेटिंग में उल्लघन (जि० आ० अधि० स्तर)	ओवर रेटिंग में उल्लघन (आ०नि० स्तर)	लंबित अभियोग (न्यायालय में)	लंबित अभियोग (आबकारी निरीक्षक स्तर पर)
					उपभोग (ब०ली० में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत	उपभोग (बोतल में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत	उपभोग (ब०ली० में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत				
1	सितम्बर –2019	62	11	1671.26	446738.66	-8.62	348191.45	4.54	167994.85	-32.67	0	1	1660	76
	सितम्बर –2018	60	3	1594.81	488883.06	0	333068.50	0	249504.29	0	0	3	1828	121
	प्र0योग च0वर्ष	351	59	8798.37	2730686.26	-7.42	1851136.76	7.47	1323644.42	-28.40	0	9	0	0
	प्र0 योग गत वर्ष	300	11	7600.11	2958209.50	0	1722474.76	0	1848773.58	0	18	37	10547	1099

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि माह में पकड़े गये कुल–62 अभियोग तथा चलित माह में कुल–351 अभियोग दर्ज किये गये हैं। माह में अपहृत शराब की मात्रा गतवर्ष के माह के सापेक्ष 1671.26 बी०एल० शराब अपहृत की गयी है, तथा चलित वर्ष के माह में 8798.37 बी०एल० शराब अपहृत की गयी है। जनपद में देशी मदिरा के उपभोग में गत् वर्ष के सापेक्ष –8.62% कमी पायी गयी है। चलित वर्ष के सापेक्ष –7.42% उपभोग में कमी पायी गयी है। बीयर के उपभोग में गत वर्ष के माह के सापेक्ष –32.67% कमी पायी गयी है, तथा चलित वर्ष में –28.40% उपभोग में कमी पायी गयी है, इससे स्पष्ट है कि जनपद में अवैध मदिरा की तस्करी, अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने/विक्रय/संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध प्रभावी प्रर्वतन कार्य नहीं किया जा रहा है, जिस कारण जनपद के आबकारी राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, मा० न्यायालय में लम्बित अभियोगों की संख्या माह सितम्बर–2019 तक कुल 1660 तथा आबकारी निरीक्षक के स्तर पर अन्वेषणार्थ लम्बित अभियोगों की संख्या–76 दर्शाया गया है। मा० न्यायालय में लम्बित अभियोगों के समयबद्ध निस्तारण के लिए मा० न्यायालय में सघन पैरवी किये जाने के साथ–साथ जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों को अवैध मदिरा की रोकथाम करने व ओवर रेटिंग पर रोक लगाने के लिये निरन्तर निष्ठापूर्वक प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, ताकि सम्भावित राजस्व की क्षति से बचा जा सके।

8. देहरादून:-

क० सं०	वर्ष	पकड़े गये अभियोग	अज्ञात	अपहृत मदिरा	देशी मदिरा		विदेशी मदिरा		बीयर		ओवर रेटिंग में उल्लघन (जि० आ० अधि० स्तर)	ओवर रेटिंग में उल्लघन (आ०नि० स्तर)	लंबित अभियोग (न्यायालय में)	लंबित अभियोग (आबकारी निरीक्षक स्तर पर)
					उपभोग (ब०ली० में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत	उपभोग (बोतल में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत	उपभोग (ब०ली० में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत				
1	सितम्बर –2019	43	2	868.19	309004.38	-33.96	1061340.58	42.40	413053.86	-21.32	0	0	1069	177
	सितम्बर –2018	45	0	476.39	467922.35	0	745328.95	0	524991.13	0	0	1	1103	102
	प्र0योग च0वर्ष	200	14	4042.56	2056942.37	-30.42	5411085.66	20.32	3019377.25	-19.92	3	18	0	0
	प्र0 योग गत वर्ष	188	2	33792.76	2956015.22	0	4497446.44	0	3770632.15	0	0	21	6508	754

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि माह में पकड़े गये कुल–43 अभियोग दर्ज किये गये हैं तथा चलित माह में कुल–200 अभियोग दर्ज किये गये हैं। माह में गतवर्ष के माह के सापेक्ष अपहृत शराब की मात्रा 868.19 बी०एल० कम है, तथा गतवर्ष में माह के चलित योग में 4042.56 बी०एल० कम शराब अपहृत की गयी है। जनपद का प्रर्वतन कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया गया, जबकि जनपद में 05 अपराध निरोध क्षेत्र हैं, जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों के द्वारा प्रर्वतन कार्य के प्रति उदासीनता व रूची नहीं लिये जाने के कारण जनपद के देशी मदिरा का उपभोग गत् वर्ष के चलित माह के सापेक्ष –33.96% कमी पायी गयी, तथा बीयर में –21.32% की कमी पायी गयी है। मदिरा के उपभोग में आई कमी के कारण आबकारी राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। माह में जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों के स्तर पर ओवर रेटिंग के कोई भी उल्लंघन दर्ज नहीं किया किया गया है। माह सितम्बर 2019 तक मा० न्यायालय में लम्बित अभियोगो की संख्या–1069 तथा आबकारी निरीक्षकों के स्तर पर अन्वेषणार्थ लम्बित अभियोगों की संख्या 177 दर्शाया गया जो अत्यधिक है। आबकारी राजस्व की सुरक्षा को दृष्टिगत् रखते हुए जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों के द्वारा अवैध मदिरा की रोकथाम करने व ओवर रेटिंग पर रोक लगाने के लिये निरन्तर निष्ठापूर्वक प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, ताकि सम्भावित राजस्व की क्षति से बचा जा सके। मा० न्यायालय में लम्बित अभियोगों के समयबद्ध निस्तारण के लिए सघन पैरवी किये जाने के साथ–साथ आबकारी निरीक्षकों के स्तर पर अन्वेषणार्थ अभियोगों पर यथाशीघ्र अन्वेषण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा० न्यायालय में अभियोग पत्र दाखिल किया जाना सुनिश्चित करें।

Scanned by CamScanner

9.टिहरी:–

क० सं०	वर्ष	पकड़े गये अभियोग	अज्ञात	अपहृत मदिरा	देशी मदिरा		विदेशी मदिरा		बीयर		ओवर रेटिंग में उल्लंघन (जि० आ० अधि० स्तर)	ओवर रेटिंग में उल्लंघन (आ०नि० स्तर)	लंबित अभियोग (न्यायालय में)	लंबित अभियोग हेतु आबकारी निरीक्षक स्तर पर
					उपभोग (ब०ली० में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत	उपभोग (बोतल में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत	उपभोग (ब०ली० में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत				
1	सितम्बर –2019	19	4	583.24	0	0	326161.54	21.17	73926.92	-1.01	0	0	69	35
	सितम्बर –2018	13	4	110.44	0	0	269176.89	0	74682.82	0	0	1	83	26
	प्र0योग च0वर्ष	72	18	1597.99	0	0	1770017.14	7.47	561305.69	0.25	3	3	0	0
	प्र0 योग गत वर्ष	68	12	698.68	0	0	1647041.95	0	559887.29	0	5	4	507	186

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि माह में पकड़े गये कुल–19 अभियोग दर्ज किये गये है तथा चलित माह में कुल–72 अभियोग दर्ज किये गये हैं, माह में अपहृत शराब की मात्रा 583.24 बी०एल० तथा गतवर्ष माह के चलित योग में 1597.99 बी०एल० शराब अपहृत की गयी है, विदेशी मदिरा के उपभोग में गत चलित वर्ष के माह के सापेक्ष 21.17% तथा बीयर के उपभोग में –1.01% अधिक होना पाया गया है। माह में जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों के द्वारा ओवर रेटिंग के कोई भी उल्लंघन दर्ज नहीं किये गये हैं। मा० न्यायालय में अभियोगों की संख्या 69 तथा आबकारी निरीक्षकों के स्तर पर अन्वेषणार्थ लम्बित अभियोगों की संख्या 38 दर्शाया गया है। जनपद में प्रभावी रूप से प्रर्वतन की कार्यवाही किये जाने तथा मा० न्यायालय में लंम्बित अभियोगों के लिए सघन पैरवी एवं आबकारी निरीक्षकों के स्तर पर अन्वेषणार्थ लम्बित अभियोगों पर यथाशीघ्र अन्वेषण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियोग पत्र दाखिल किया जाना आवश्यक है।

10 उत्तरकाशी:–

क० सं०	वर्ष	पकड़े गये अभियोग	अज्ञात	अपहृत मदिरा	देशी मदिरा		विदेशी मदिरा		बीयर		ओवर रेटिंग में उल्लंघन (जि० आ० अधि० स्तर)	ओवर रेटिंग में उल्लंघन (आ०नि० स्तर)	लंबित अभियोग (न्यायालय में)	लंबित अभियोग हेतु आबकारी निरीक्षक स्तर पर (आबकारी निरीक्षक स्तर पर)
					उपभोग (ब०ली० में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत	उपभोग (बोतल में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत	उपभोग (ब०ली० में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत				
1	सितम्बर –2019	12	1	146.50	0	0	194200.50	45.66	26797.25	3.49	0	0	14	52
	सितम्बर –2018	13	0	177.99	0	0	133328.25	0	25894	0	1	0	23	35
	प्र0योग च0वर्ष	61	4	5241.73	0	0	819810.50	8.21	119217.95	-27.04	1	1	0	0
	प्र0 योग गत वर्ष	42	11	524.25	0	0	757605.50	0	163394.65	0	3	2	177	125

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि माह में पकड़े गये कुल–12 अभियोग दर्ज किये गये है तथा चलित माह में कुल–61 अभियोग दर्ज किये गये हैं, माह में अपहृत शराब की मात्रा 146.50 बी०एल० तथा गतवर्ष माह के चलित योग के सापेक्ष 5241.73 बी०एल० शराब अपहृत की गयी है, विदेशी मदिरा के उपभोग में गत् चलित माह के सापेक्ष 45.66% अधिक तथा बीयर के उपभोग में 3.49% की कमी पायी गयी। गत चलित वर्ष के माह के सापेक्ष विदेशी मदिरा के उपभोग में 8.21% अधिक तथा बीयर के उपभोग में –27.04% कमी पायी गयी, माह में जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों के द्वारा कोई भी उल्लंघन दर्ज नहीं किये गये हैं। माह सितम्बर–2019 मे मा० न्यायालय में लम्बित अभियोगों की संख्या 14 तथा आबकारी निरीक्षकों के स्तर पर अन्वेषणार्थ लम्बित अभियोगों की संख्या 52 दर्शाया गया है। जनपद में विदेशी मदिरा एवं बीयर के उपभोग में आयी कमी को दूर करने के लिए जनपद स्तर पर सघन रूप से प्रर्वतन की कार्यवाही किये जाना आवश्यक है।

Scanned by CamScanner

1. रूद्रप्रयागः–

क्र० सं०	वर्ष	पकड़े गये अभियोग	अज्ञात	अपहृत मदिरा	देशी मदिरा		विदेशी मदिरा		बीयर		ओवर रेटिंग में उल्लघन (जि० आ० अधि० स्तर)	ओवर रेटिंग में उल्लघन (आ०नि० स्तर)	लंबित अभियोग (न्यायालय में)	लंबित अभियोग (आबकारी निरीक्षक स्तर पर)
					उपभोग (ब०ली० में)	कमी/ वृद्धि प्रतिशत	उपभोग (बोतल में)	कमी/ वृद्धि प्रतिशत	उपभोग (ब०ली० में)	कमी/ वृद्धि प्रतिशत				
1	सितम्बर –2019	6	0	107.77	0	0	174798.25	58.39	23981.50	13.02	0	0	15	6
	सितम्बर –2018	4	0	22.29	0	0	110357.75	0	21219.70	0	1	1	3	6
	प्र0योग च0वर्ष	30	1	2468.05	0	0	866385	20.19	159669.75	6	0	4	0	0
	प्र0 योग गत वर्ष	21	0	143.10	0	0	720842	0	150633.70	0	9	5	43	22

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि माह में पकड़े गये कुल–6 अभियोग दर्ज किये गये है तथा चलित माह में कुल–30 अभियोग दर्ज किये गये हैं, माह में अपहृत शराब की मात्रा 107.77 बी०एल० तथा गतवर्ष माह के चलित योग में 2468.05 बी०एल० शराब अपहृत की गयी है, विदेशी मदिरा के उपभोग में गत् चलित वर्ष माह के सापेक्ष 58.39% अधिक तथा बीयर के उपभोग में 13.02% की अधिक पायी गयी। माह में जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा एवं आबकारी निरीक्षकों के द्वारा कोई भी ओवर रेटिंग के उल्लंघन दर्ज नहीं किये गये हैं। माह सितम्बर–2019 मे मा० न्यायालय में लम्बित अभियोगों की सख्या 15 तथा आबकारी निरीक्षकों के स्तर पर अन्वेषणार्थ लम्बित अभियोगों की संख्या 06 दर्शाया गया है। जनपद में ओवर रेटिंग के रोकथाम करने एवं अवैध मदिरा की तस्करी व विक्रय की रोकथाम करने के लिये निरन्तर निष्ठापूर्वक प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, ताकि सम्भावित राजस्व की क्षति से बचा जा सके।

12. पौड़ीः–

क्र० सं०	वर्ष	पकड़े गये अभियोग	अज्ञात	अपहृत मदिरा	देशी मदिरा		विदेशी मदिरा		बीयर		ओवर रेटिंग में उल्लघन (जि० आ० अधि० स्तर)	ओवर रेटिंग में उल्लघन (आ०नि० स्तर)	लंबित अभियोग (न्यायालय में)	लंबित अभियोग (आबकारी निरीक्षक स्तर पर)
					उपभोग (ब०ली० में)	कमी/ वृद्धि प्रतिशत	उपभोग (बोतल में)	कमी/ वृद्धि प्रतिशत	उपभोग (ब०ली० में)	कमी/ वृद्धि प्रतिशत				
1	सितम्बर –2019	26	3	430.19	0	0	253477.88	-17.64	54224.90	-24.42	0	0	146	44
	सितम्बर –2018	17	1	295.75	0	0	307754.60	0	71747.35	0	0	1	174	22
	प्र0योग च0वर्ष	137	28	3201.68	0	0	1275637.81	-23.51	371988.86	-32.19	2	14	0	0
	प्र0 योग गत वर्ष	75	1	1384.46	0	0	1667618.25	0	548565.15	0	3	22	1039	99

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि माह में पकड़े गये कुल–26 अभियोग दर्ज किये गये है तथा चलित माह में कुल–137 अभियोग दर्ज किये गये हैं। माह में अपहृत शराब की मात्रा 430.19 बी०एल० तथा चलित वर्ष में 3201.68 बी०एल० अवैध शराब अपहृत की गयी है, जनपद में विदेशी मदिरा के उपभोग में गत्वर्ष चलित माह के सापेक्ष –17.64% कमी पायी गयी है तथा बीयर के उपभोग में गत् वर्ष चलित माह के सापेक्ष –24.42% उपभोग में कमी पायी गयी है। तथा चलित वर्ष के माह के सापेक्ष विदेशी मदिरा –23.51% तथा बीयर के उपभोग में –32.19% कमी पायी गयी है, इससे स्पष्ट है कि जनपद में अवैध मदिरा की तस्करी/विक्रय/संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध प्रभावी रूप से प्रर्वतन कार्य नहीं किया जा रहा है और ना ही प्रर्वतन कार्य के प्रति रूची ली जा रही है, जिस कारण जनपद के विदेशी/बीयर के उपभोग में निरंन्तर कमी आयी है जिसका प्रतिकूल प्रभाव जनपद के राजस्व पर पडना स्वाभाविक है। माह में ओवर रेटिग के उल्लघंन जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों के द्वारा कोई भी उल्लघंन दर्ज नहीं किये गये है। मा० न्यायालय में लम्बित अभियोगों की संख्या माह सितम्बर–2019 तक कुल 146 तथा आबकारी निरीक्षक के स्तर पर अन्वेषणार्थ लम्बित अभियोगों की संख्या–44 दर्शाया गया है। आबकारी राजस्व को दृष्टिगत रखते हुए बिदेशी एवं बीयर के उपभोग में आयी कमी को दूर करने के लिए जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों को अवैध मदिरा की रोकथाम करने व ओवर रेटिंग पर रोक लगाने के लिये निरन्तर निष्ठापूर्वक प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, ताकि सम्भावित राजस्व की क्षति से बचा जा सके।

Scanned by CamScanner

13 चमोलीः–

क्र० सं०	वर्ष	पकड़े गये अभियोग	प्रकाश	अपहृत मदिरा	देशी मदिरा		विदेशी मदिरा		बीयर		ओवर रेटिंग में उल्लघन (जि० आ० अधि० स्तर)	ओवर रेटिंग में उल्लघन (आ०नि० स्तर)	लंबित अभियोग (न्यायालय में)	लंबित अभियोग (आबकारी निरीक्षक स्तर पर)
					उपभोग (ब०ली० में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत	उपभोग (बोतल में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत	उपभोग (ब०ली० में)	कमी/वृद्धि प्रतिशत				
1	सितम्बर –2019	13	0	70.50	0	0	233842.75	39.65	43972.95	67.15	0	0	18	25
	सितम्बर –2018	14	0	91.50	0	0	167452	0	26307	0	0	0	62	19
	प्रo योग चoवर्ष	64	5	812.19	0	0	1210460.25	19.20	274063.85	36.97	2	2	0	0
	प्र0 योग गत वर्ष	56	1	463	0	0	1015478.25	0	200095.95	0	0	8	385	96

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि माह में पकड़े गये कुल–13 अभियोग दर्ज किये गये है तथा चलित माह में कुल–64 अभियोग दर्ज किये गये हैं। माह में अपहृत शराब की मात्रा 70.50 बी०एल० तथा चलित वर्ष में 812.19 बी०एल० शराब अपहृत की गयी है, जनपद में विदेशी मदिरा के उपभोग में गत्वर्ष चलित माह के सापेक्ष 39.65% तथा बीयर के उपभोग में गत् वर्ष चलित माह के सापेक्ष 67.15% उपभोग में बृद्धि पायी गयी है। माह में ओवर रेटिग के उल्लघंन जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों के द्वारा कोई भी उल्लघंन दर्ज नहीं किया गया है। मा० न्यायालय में लम्बित अभियोगों की संख्या माह सितम्बर–2019 तक कुल 18 तथा आबकारी निरीक्षक के स्तर पर अन्वेषणार्थ लम्बित अभियोगों की संख्या–25 दर्शाया गया है। जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों को अवैध मदिरा की रोकथाम करने व ओवर रेटिंग पर रोक लगाने के लिये निरन्तर निष्ठापूर्वक प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, ताकि सम्भावित राजस्व की क्षति से बचा जा सके।

जनपदीय/मण्डलीय प्रवर्तन दल, उत्तराखण्डः– प्रवर्तन दलों का कार्य मात्र प्रवर्तन कार्य ही है, इसके बावजूद किसी भी प्रवर्तन दल द्वारा सन्तोषजनक प्रवर्तन कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रर्वतन इकाईयों को अपने–अपने कार्य क्षेत्रान्तर्गत जनपदों से समन्वय स्थापित करते हुए निरन्तर प्रर्वतन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

(सुशील कुमार)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्याः 12,100–106 /पॉच–ई0आई0बी0/एम0डी0ओ0–समीक्षा/2019–20/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. संयुक्त आबकारी आयुक्त, गढ़वाल/कुमांयूँ मण्डल।
4. उप आबकारी आयुक्त, देहरादून/नैनीताल परिक्षेत्र।
5. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड,।
6. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन इकाई, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

(सुशील कुमार)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

Scanned by CamScanner